ए.

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम

मेसर्स भारत एंटरप्राइज

(2015 की सिविल अपील संख्या 3441-3442) 23 मार्च, 2023

बी.

[के**.** एम**.** जोसेफ**,** कृष्णा मुरारी और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल (जिसमें कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं है) जमा करने के बाद प्रस्तुत किए गए दावों की अनुमति देते हुए एक पुरस्कार पारित किया-मध्यस्थता के दौरान, अपीलार्थी ने यू/एस के तहत एक आवेदन दायर किया।16 अनुबंध के खंड 65 और 65 ए का आह्वान करते हुए, जिसने अंतिम बिल प्रस्तुत करने के बाद एक नए दावे के प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी-आवेदन खारिज-अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका यू/एस।34 पुरस्कार को चुनौती देने की अनुमति-उच्च न्यायालय द्वारा यू/एस की अपील में अपास्त करना गया आदेश।37 – आयोजित किया गया:जब कोई ठेकेदार किसी अंतिम बिल या 'नो क्लेम ड्यू सर्टिफिकेट' से बाहर निकलने का प्रयास करता है, जिसे उसने प्रस्तुत किया है, तो उसे एक ऐसा न्यायालय स्थापित करना चाहिए कि एक अंतिम बिल या कोई और दावा नहीं करने का प्रमाण पत्र कानून के तहत किसी भी दूषित करने वाले कारकों का परिणाम था-इस तरह के निष्कर्ष के बिना, अंतिम बिल खड़ा होगा-यदि अंतिम बिल को कानून के लिए ज्ञात किसी भी कारक द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, तो इस मामले में अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए खंड काम करेंगे-मध्यस्थ द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि अंतिम बिल और नो क्लेम सर्टिफिकेट दूषित थे-अनुबंध में खंड न केवल पक्षों पर बल्कि मध्यस्थ पर भी बाध्यकारी थे-खंड 65 और 65 ए की शर्तों के खिलाफ जाकर वास्तव में काम करेंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

803 ए.

804 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

हो सकता है कि यह बिल्कुल भी उत्पन्न न हुआ हो-विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया हो-अपीलार्थियोंओं को अपने दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे में प्रत्यर्थी को 3 लाख रुपये का भुगतान करना-भारत का संविधान-अनुच्छेद 136।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।16(2), (3), 34, 37 – प्रत्यर्थी की याचिका कि आदेश डी. टी. डी.04.03.2009 मध्यस्थ यू/एस द्वारा पारित।16 अंतिमता प्राप्त की थी क्योंकि यह आक्षेपित यू/एस नहीं था।37 – आयोजित किया गयाःएस के तहत।37(2)(क), धाराओं की उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जाती है।16 – इसका मतलब है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है जो इस याचिका को अनुमति देता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है-ऐसा ही मामला एक आदेश के संदर्भ में है जिसे यू/एस के तहत अपील योग्य बनाया गया है।16(3) – इसके तहत यह भी याचिका है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है जिसकी अनुमति दी गई है जिसे अपील योग्य माना जाता है-वर्तमान मामले में, आदेश द्वारा। 04.03.2009, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने याचिका की अनुमति नहीं दी, चाहे वह यू/हो।एस. 16 (2) या यू/एस।16(3) – दूसरी ओर, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया-इसलिए, यू/एस के तहत कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी।37 आदेश डी. टी. डी. के खिलाफ।04.03.2009 – मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा याचिका को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया गया।16(2) या 16 (3) स्वयं पुरस्कार का हिस्सा होने के कारण, पक्षकारों के लिए इसे चुनौती देने के लिए खुला है जब कोई याचिका दायर की जाती है।34 पुरस्कार को चुनौती देना।

बी.

सी.

डी.

ई.

मध्यस्थता-मध्यस्थ पक्षकारों और अनुबंध का एक प्राणी है-मध्यस्थ के रूप में वह अनुबंध की रूपरेखा से बाहर नहीं जा सकता है-वह इसकी सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है-अनुबंध के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना से पुरस्कार के खतरे का प्रकोप होगा।

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** अपीलार्थियों द्वारा जिन खंडों पर भरोसा किया गया है**,** वे स्पष्ट और स्पष्ट हैं।वे अंतिम विधेयक प्रस्तुत करने के बाद एक नए दावे को प्रस्तुत करने में हस्तक्षेप करते हैं।यदि अंतिम विधेयक प्रस्तुत करने के बाद कोई दावा बचा है**,** तो पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा।ये ऐसे खंड हैं जो न केवल पक्षों के लिए बल्कि मध्यस्थ के लिए भी बाध्यकारी हैं।खंड **65** और **65** ए की शर्तों के खिलाफ जाने से पुरस्कार वास्तव में इस आधार पर असुरक्षित हो जाएगा कि यह अनुबंध के विपरीत अवैध है और इसलिए**,** अधिकार क्षेत्र के बिना है।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अंतिम बिल प्रस्तुत किया जा सकता है ए

जी.

एच.

805

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज ए

और यह तर्क दिया जाता है कि अंतिम विधेयक दबाव में प्रस्तुत किया गया था।ऐसे मामले में**,** दावेदारों और मध्यस्थ से यह पता लगाने का आग्रह किया जा सकता है कि अंतिम बिल स्वयं इस तथ्य के कारण दूषित किया गया था कि यह कानून के तहत दबाव या किसी अन्य दूषित करने वाले कारकों से लाया गया था।यदि ऐसी घटना हुई होती तो यह अपीलार्थियों पर मुकदमा दायर न करने के लिए पर्याप्त हो सकता था।दूसरे शब्दों में**,** यदि समझौते की शर्तों के तहत**,** मध्यस्थ के खिलाफ किसी भी दावे में योग्यता खोजने का प्रयास करने पर प्रतिबंध है जो अंतिम बिल का हिस्सा नहीं है**,** तो इस तरह से दावे को स्वीकार करना अवैध होगा।हालाँकि**,** दूसरी ओर**,** यदि मामला यह है कि अंतिम बिल को ही जीवन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जबरदस्ती या किसी अन्य दूषित कारक से पैदा हुआ था और मध्यस्थ सामग्री पर एक निष्कर्ष देता है जो कानून में पर्याप्त है तो मध्यस्थ के पुरस्कार पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि वह संविदात्मक प्रावधानों से परे जाता है।**[**पारस **17,18] [822-**जी**-**एच**; 823-**ए**-**डी**]**

बी.

सी.

1.2 13.02.2002 पर**,** प्रत्यर्थी ने वास्तव में एक अंतिम बिल प्रस्तुत किया है।इसके एक साल बाद **25.02.2003** पर प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ**-**साथ एक पत्र भेजा जिसमें आग्रह किया गया कि **13.02.2002** दिनांकित अंतिम बिल का भुगतान नहीं किया गया था और विरोध के तहत हस्ताक्षर किए गए थे।इसके बाद**,** ऐसा प्रतीत होगा कि प्रत्यर्थी ने **24.05.2003** पर एक हलफनामा दायर किया है।यह इन सब की अनदेखी कर रहा है कि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए नोटिस भेजा गया था।अधिनियम की धारा **11** के

तहत कार्यवाही करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक **1** के आदेश द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया।मध्यस्थता के दौरान**, 03.08.2008** पर**,** अपीलार्थियों ने अनुबंध के खंड **65** और **65** ए को लागू करते हुए अधिनियम की धारा **16** के तहत एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन **04.03.2009** पर अस्वीकार कर दिया गया।मध्यस्थ उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक **1** के आदेश के आधार पर धारा **16** के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा है।मध्यस्थ आगे इस तथ्य से प्रेरणा लेता है कि **12.11.2007** दिनांकित आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को **04.12.2007** पर खारिज कर दिया गया था।मध्यस्थ ने आगे पाया कि दिनांकित **12.11.2007** के आदेश के बाद पक्षों के बीच किया गया समझौता इंगित करेगा कि विवाद वास्तव में मौजूद हैं।हालाँकि**,** इसकी अनुपस्थिति से जो बात स्पष्ट है**,** वह मध्यस्थ द्वारा किया गया कोई भी निष्कर्ष है**,** कि **13.02.2002** दिनांकित अंतिम बिल दबाव या किसी अन्य दूषित करने वाले कारकों का परिणाम था।**[**पारस **19,20] [823-**ई**-**एच**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1.3 धारा **16** की उप**-**धारा **(2)** और **(3)** में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील की जाती है।इसका मतलब है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है जो इस याचिका को अनुमति देता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसी तरह का मामला एक आदेश के संदर्भ में है जिसे अधिनियम की धारा **16 (3)** के तहत अपील योग्य बनाया गया है। इसके तहत यह भी याचिका है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है जिसकी अनुमति दी गई है जिसे अपील योग्य माना जाता है।इस मामले में**,** दिनांक **1** के आदेश द्वारा**,** मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने याचिका को अनुमति नहीं दी है**,** चाहे वह धारा **16 (2)** के तहत हो या धारा **16 (3)** के तहत।दूसरी ओर**,** न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया है।इसलिए**,** दिनांकित **04.03.2009** आदेश के खिलाफ धारा **37** के तहत कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी।मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा धारा **16 (2)** या **16 (3)** के तहत याचिका को खारिज करने का आदेश स्वयं पुरस्कार का हिस्सा होने के कारण**,** पक्षकारों के लिए इसे चुनौती देने के लिए खुला है जब पुरस्कार को चुनौती देने वाली अधिनियम की धारा **34** के

तहत याचिका दायर की जाती है।यह अधिनियम की योजना है। यह स्पष्ट रूप से उन मामलों में अपील करने के अधिकार को सीमित करने के लिए है जहां किसी पक्ष की याचिका को स्वीकार करने से मध्यस्थता रुक जाएगी।वास्तव में**, 04.03.2009** दिनांकित आदेश को पुरस्कार में संदर्भित किया गया है और इसे पुरस्कार के हिस्से के रूप में माना गया है।इसके बाद एक कार्यवाही में जिला न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा धारा **34** के तहत दायर याचिका को मंजूरी दे दी है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि हितकारी सिद्धांत जो इस न्यायालय द्वारा इस मामले में प्रतिपादित किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के साथ समझौता कर रहा है

संवैधानिक सिद्धांतों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।हालाँकि**,** इसे संदर्भ से बाहर नहीं किया जा सकता है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि जब कोई ठेकेदार किसी अंतिम बिल या 'नो क्लेम ड्यू सर्टिफिकेट' से बाहर निकलने की कोशिश करता है**,** जिसे उसने मध्यस्थ के समक्ष सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया है**,** तो उसे एक ऐसा मामला स्थापित करना चाहिए कि अंतिम बिल या बिना किसी दावे का प्रमाण पत्र कानून के तहत किसी भी दूषित करने वाले कारक का परिणाम था।इस तरह के निष्कर्ष के बिना**,** अंतिम बिल खड़ा रहेगा।यदि अंतिम विधेयक को कानून द्वारा ज्ञात किसी भी कारक द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है तो इस मामले में अपीलार्थियों द्वारा जिन खंडों पर भरोसा किया गया है वे काम करेंगे।मध्यस्थ द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि अंतिम बिल और नो क्लेम सर्टिफिकेट दूषित थे।अनुबंध के खंड ए पर बाध्यकारी थे

एफ.

जी.

एच.

807

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज ए

प्रत्यर्थी ।इसे सिद्धांत का आह्वान करने से अलग नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम।ऐसा नहीं है कि

ठेकेदार ने कहा कि जब अनुबंध किया गया था, तो यह उन परिस्थितियों में था जो उसमें निर्धारित सिद्धांतों को आकर्षित करती थीं।यदि खंड काम करते हैं, तो अपरिहार्य परिणाम यह है कि मध्यस्थ संविदात्मक निषेध से बाहर नहीं जा सकता था और अंतिम बिल जमा करने के बाद प्रस्तुत किए गए दावों की अनुमति देते हुए एक पुरस्कार पारित कर सकता था।[पारस **22,23,25** और **26] [824-**एफ**-**एच**; 825-**ए**-**बी**; 826-**ए**-**डी**]**

बी.

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम और अन्र बनाम

ब्रोजो नाथ गांगुली एयर 1986 एससी 1571:[1986] 2 एस. सी. आर. 278-संदर्भित।

सी.

1.4 हालांकि यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी याद नहीं किया जा सकता है कि विचाराधीन राशि काफी कम है और अंतिम बिल लंबे समय तक भुगतान नहीं किया गया है।यह स्पष्ट रूप से अंतिम बिल राशि के भुगतान में लंबी देरी थी जिसके कारण नए दावे बढ़े।शायद, अगर अंतिम विधेयक को इतने लंबे समय तक लंबित नहीं रखा गया होता, तो पूरा विवाद शायद ही पैदा हुआ होता।सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जबकि यह न्यायालय विवादित आदेश को अपास्त करनाने के लिए इच्छुक है, न्याय के हितों के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्यर्थी को उसके सभी दावों की पूरी और अंतिम संतुष्टि के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए।विवादित फैसले को अपास्त करना दिया जाता है।तथापि, अपीलार्थियों प्रत्यर्थी को **3** लाख रुपये **(**केवल तीन लाख रुपये**)** की राशि का भुगतान करेंगे जो प्रत्यर्थी के दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा।[पारस **28,29] [826-**जी**-**एच**; 827-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनामअन्नपूर्णा निर्माण

(2003) 8 एससीसी 154:[2003] 3 पूरक।एससीआर 122; संघ

भारत सरकार और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी

(2011) 12 एससीसी 349:[2011] 5 एस. सी. आर. 853; भारत संघ

बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी **(2019) 15** एससीसी **682:[2019] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1009;** पी**.** एस**.** ए**.** एस**.** आई**.** सी**.** ए**.** एल**.** टर्मिनेट **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**वी**.** ओ**.** चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल

जी.

तूतीकोरिन 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 508; भारत संघ

और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी **(2011) 12**

एससीसी 349:[2011] 5 एससीआर 853; राष्ट्रीय बीमा

एच.

कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड

(2009) 1 एससीसी 267:[2008] 13 एस. सी. आर. 638; एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और एक अन्य **(2005) 8** एस**.** सी**.** सी**. 618**

:[2005] 4 पूरक।एससीआर 688; ताहेरा खातून (डी) एल. आर. बनाम।सलामबीन मोहम्मद (1999) 2 एस. सी. सी. 635:[1999] 1 एस. सी. आर. 901-संदर्भित।

बी.

संदर्भित निर्णय

[2003] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 122** पैरा **4,10 [2011] 5** एस**.** सी**.** आर**. 853** पैरा **6 [2019] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1009** पैरा **6 [2011] 5** एस**.** सी**.** आर**. 853** पैरा **11 [2008] 13** एस**.** सी**.** आर**. 638** पैरा **12,13 [2005] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 688** पैरा **14 [1986] 2** एस**.** सी**.** आर**. 278** पैरा **24,25 [1999] 1** एस**.** सी**.** आर**. 901** पैरा **28** को संदर्भित

सी.

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2015 की सिविल अपील सं. 3441-3442।

2013 के एफ. ए. ओ. सं. 4290 और 2013 के एफ. ए. ओ. सं. 4290 में 2014 के आर. ए. सं. 66-सी. आई. आई. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 और <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., आर. बाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री विशाखा, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, शरत नांबियार, श्लोक चंद्र, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

जी.

सुश्री प्रवीणा गौतम, पवन शुक्ला, सुश्री इंदिरा गोस्वामी, अमन शर्मा, सुश्री आकांक्षा त्यागी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

809

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. 02.07.2001 पर स्नानघरों और अन्य संबद्ध कार्यों की मरम्मत के लिए पक्षों के बीच एक अनुबंध किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि समय 19.01.2002 तक बढ़ा दिया गया था। प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने 13.02.2002 पर अंतिम बिल प्रस्तुत किया।इसमें नो क्लेम सर्टिफिकेट था। प्रत्यर्थी द्वारा दावा की गई उक्त राशि का स्पष्ट रूप से तुरंत भुगतान नहीं किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने एक वर्ष की अवधि के लिए अंतिम बिल का भुगतान न करने के बारे में कई अनुस्मारक दिए।अंतिम बिल का भुगतान न करने के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कई बार याद दिलाने के बाद, प्रत्यर्थी के अनुसार, उसने 25.02.2003 पर अतिरिक्त दावों की एक सूची भेजी और उक्त पत्र में दावा किया कि पत्र और अंतिम बिल को विरोध के तहत माना जाना चाहिए।प्रत्यर्थी ने 24.05.2003 दिनांकित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जो प्रत्यर्थी के अनुसार अपीलार्थी द्वारा तैयार किया गया था और जिसमें दिनांकित 25.02.2003 पत्र को वापस लेने का प्रावधान किया गया था।प्रत्यर्थी से 12.09.2003 पर एक वचन पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।इसके बाद, प्रत्यर्थी ने बिल का भुगतान न करने के कारण शपथ पत्र और वचन को रद्द कर दिया और बकाया दावों का भुगतान न करने के लिए अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए अंतिम सूचना देने का इरादा किया।इसके बाद, 25.11.2003 पर, अपीलार्थी ने Rs.100358-का भुगतान किया।इसके बाद 08.09.2004 दिनांकित पत्र आया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता खंड और मध्यस्थ की नियुक्ति का आह्वान करने की मांग की।बाद में, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका दायर की गई थी।उसी की अनुमति दी गई थी।एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 22.11.2007 पर मध्यस्थता के लिए एक नया समझौता किया गया था।यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश को एकमात्र

मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।अपीलार्थी ने दावों को खारिज करने के लिए धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया।अपीलार्थी ने अनुबंध के खंड 65 और 65 ए को लागू किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आवेदन को मध्यस्थ द्वारा 04.03.2009 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, मध्यस्थ ने मामले के गुण-दोषों को स्वीकार किया और 16.07.2009 दिनांकित पुरस्कार पारित किया।कुल 10 दावे किए गए थे।मध्यस्थ ने दस में से सात दावों को अस्वीकार कर दिया जबकि उसने तीन दावों की अनुमति दी।दावों को ब्याज दर के साथ अनुमति दी गई थी जिस पर हमें इस स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई।यह आदेश पारित किया गया है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश जो अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में विवादित आदेश द्वारा पलट दिया जाता है।

2. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम और प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रवीण गौतम को सुना है।

बी.

3. एकमात्र विवाद जिसे हमें हल करने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि क्या विवादित आदेश अनुबंध के खंड 65 और 65 ए को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि विवादित आदेश इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के दायरे में है।

सी.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनामअन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन (2003) 8

एससीसी 154।वह यह भी बताते हैं कि उक्त दृष्टिकोण का पालन किया गया है

पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनेट (पी) लिमिटेड बनामवी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 508 का न्यासी मंडल।ए में

संक्षेप में, तर्क इस प्रकार है:5. उनका तर्क है कि मध्यस्थ संपर्क की सीमाओं से बाहर यात्रा नहीं कर सकता है।वास्तव में, वह अनुबंध की शर्तों से पूरी तरह से बंधा हुआ है।अनुबंध के संदर्भ में जो हमारे सामने विवाद के संदर्भ में उपयुक्त हैं, ठेकेदार के खिलाफ उन दावों को शामिल करके अंतिम बिल में दावों के पूरक होने पर प्रतिबंध है जो अंतिम बिल में नहीं पाए जाते हैं।इस मामले के तथ्यों में, वह प्रस्तुत करेंगे कि अंतिम बिल को इंगित करके ठीक यही हुआ है जो 13.02.2002 पर प्रस्तुत किया गया था और अनुमति प्राप्त दावों को बाद में उठाया जाता है।उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने कानून में इस अपूरणीय बाधा को दूर करने और राहत देने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।जिस तर्क पर उच्च न्यायालय ने विचार किया है, उसे इस न्यायालय द्वारा पहले निर्दिष्ट किए गए निर्णयों में अस्थिर होने के कारण संदेह के घेरे में लाने की कोशिश की गई है।

डी.

ई.

एफ.

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रवीणा गौतम ने इस न्यायालय द्वारा संघ में निर्धारित कानून द्वारा आश्वासन दिया है

भारत और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (2011) 12 एससीसी

जी.

349 और भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी (2019) 15 एस. सी. सी. 682 में निर्णय।वह बताएंगी कि अंतिम बिल पर हस्ताक्षर करने में एक लंबी देरी हुई थी और मध्यस्थ ने केवल वही राशि प्रदान की है जो देय पाई गई थी।यह आगे तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के आधार को हिलाने के लिए अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत किया गया प्रयास विफल रहा।यह इंगित किया गया है कि उक्त निर्णय में ए है

एच.

811

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अधिनियम की धारा 37 के तहत चुनौती नहीं दी गई। यह भी बताया गया है कि इस मामले के तथ्यों में, किसी भी तरह से, न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर राज्य द्वारा दायर अपील के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है।

विश्लेषण

बी.

7. अनुबंध के खंड 65 और 65 ए निम्नानुसार हैंः“शर्त सं. "65।

अंतिम बिल (केवल मापन और एकमुश्त अनुबंधों पर लागू)।- अंतिम बिल ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए कार्यों के भौतिक रूप से पूरा होने के तीन महीने के भीतर डुप्लिकेट में I.A.F.W.-2262 पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

सी.

इसका समर्थन करने वाले सभी सार, वाउचर आदि इसके साथ होंगे और इसे जी. ई. द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार किया जाएगा।

डी.

अंतिम विधेयक प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार द्वारा आगे कोई दावा नहीं किया जाएगा और इन्हें माफ कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।

जी. ई. द्वारा अंतिम बिल के प्रमाणन के अधीन ठेकेदार को खाते में पहले से किए गए भुगतान के मूल्य से कम अंतिम राशि का भुगतान करने का अधिकार होगा।

ई.

अंतिम बिल तैयार करने के लिए ठेकेदार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”

शर्त सं. "65-ए। अंतिम बिल (केवल अवधि अनुबंधों पर लागू)।- अंतिम विधेयक ठेकेदार द्वारा कार्य के भौतिक रूप से पूरा होने के तीन महीने के भीतर प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए जी. ई. द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार किए गए 2158 और 1833 को छोड़कर सभी सहायक सार, वाउचर आदि के साथ डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जाएगा।इकाई आवश्यकताओं या रखरखाव और मरम्मत के लिए एम. ई. एस. निरीक्षणों से उत्पन्न कार्य आदेशों के संबंध में, ऐसे आदेश का कोई भी हिस्सा जो अगली बाद की मांग या निरीक्षण की तारीख को अधूरा रहता है, विशुद्ध रूप से पूर्ण किए गए कार्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए हो सकता है।

एफ.

जी.

ऐसी किसी भी देरी के संबंध में सरकार के किसी अन्य अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह को हटा दिया जाए और कार्य आदेश, जैसा कि तुरंत संशोधित किया गया है, अंतिम भुगतान के लिए बिल किया जाए।

अंतिम विधेयक प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार द्वारा आगे कोई दावा नहीं किया जाएगा और इन्हें माफ कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।ठेकेदार कार्य आदेश के पूर्ण मापा मूल्य, खाते में किए गए भुगतान के मूल्य को कम करने और सरकारी स्टोरों के लिए अनुबंधों की शर्तों के तहत ठीक से पसंद किए गए किसी भी शुल्क आदि का भुगतान करने का हकदार होगा, जो जी. ई. द्वारा अंतिम बिल के प्रमाणन के अधीन होगा।

बी.

सी.

जब नोटों के कुल में एक रुपये का अंश आता है, तो आधे रुपये से कम के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और आधे रुपये और उससे अधिक को रुपये के रूप में लिया जाएगा।

अंतिम बिल तैयार करने के लिए ठेकेदार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।"

डी.

8. मध्यस्थ पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप घटनास्थल पर आता है।अस्वाभाविक रूप से नहीं, मध्यस्थ के लिए विवाद को निपटाने के लिए मूल और प्राथमिक आधार पक्षों के बीच अनुबंध है।एक मध्यस्थ, दूसरे शब्दों में, पक्षों और अनुबंध का एक प्राणी है।यह प्राथमिक बात है कि मध्यस्थ के रूप में वह अनुबंध की रूपरेखा से बाहर नहीं जा सकता है।वह इसकी सीमा के भीतर काम करने के लिए बाध्य है।अनुबंध के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना से पुरस्कार के खतरे में पड़ने का प्रकोप होगा।यह स्थिति विवाद के क्षेत्र में नहीं हो सकती।

ई.

9. एक और परिदृश्य है।यह एक दावे से संबंधित है कि सहमति और संतुष्टि है।एक ओर, ठेकेदार के मामले में यह खारिज करने की कोशिश की गई है कि समझौता और संतुष्टि दूषित करने वाले कारकों द्वारा लाई गई थी जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 15 से 18 में अनिवार्य रूप से विचार किए गए हैं।दूसरे शब्दों में, जहां ठेकेदार का मामला है कि कोई

दावा प्रमाणपत्र दबाव या जबरदस्ती के तहत नहीं दिया जाता है, यह मध्यस्थ द्वारा जांच का विषय हो सकता है।मध्यस्थ के लिए ठेकेदार की शिकायत में योग्यता खोजने और सहमति और संतुष्टि के मामले को अस्वीकार करने और ठेकेदार के दावे के गुण-दोष की जांच करने और किसी दिए गए मामले में कानून के अनुसार मुआवजा देने के लिए आगे बढ़ना खुला हो सकता है। मामलों की ये विशिष्ट धाराएँ और इसलिए न्यायिक दृष्टिकोण में मतभेद हमारे विचार के लिए अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं।

एफ.

जी.

एच.

813

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

10. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनामएक अन्नपूर्णा निर्माण

(2003) 8 एस. सी. सी. 154, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ एक मध्यस्थ के अनुबंध के प्रासंगिक खंडों पर विचार करने में विफल रहने के प्रभाव पर विचार किया।यह उक्त आधार पर है कि न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ाः

“निष्कर्ष

बी.

9. केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी ने अंतिम विधेयक को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह कोई दावा करने का हकदार नहीं था।यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि अंतिम विधेयक को स्वीकार करते समय, प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह आगे कोई दावा नहीं करेगा।ऐसी घोषणा के अभाव में, प्रत्यर्थी को किसी भी दावे को उठाने से रोका या रोका नहीं जा सकता है।इसलिए, हम श्री सिन्हा के उक्त निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

सी.

40. हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, यह मामला एक अलग आधार पर खड़ा है, अर्थात्, मध्यस्थ कुछ मदों के संबंध में निर्णय पारित करते समय अनुबंध के प्रासंगिक खंडों को ध्यान में रखने में विफल रहा और/या उपेक्षा की, और न ही उसने एक सही तथ्य पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा।इस तरह का आदेश कानून में गलत दिशा के बराबर होगा।”

डी.

इसी प्रकार इस न्यायालय का निर्णय पी. एस. ए. में रिपोर्ट किया गया है।

ई.

एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनेट (पी) लिमिटेड 1

11. दूसरी ओर, मास्टर में बताया गया निर्णय है

निर्माण कंपनी 2.

12. हमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिएः

एफ.

सबसे पहले, अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला सामने आया।

विचाराधीन कार्य के पूरा होने पर, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया और इसके बाद ठेकेदार ने दावा नहीं करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।अंतिम विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए।इसके बाद, अंतिम बिल का भुगतान एक महीने से कुछ अधिक की अवधि के भीतर किया गया था।इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार ने अपीलार्थी को नो क्लेम सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए लिखा था।नियोक्ता (अपीलार्थी) ने इस आधार पर दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया कि अंतिम बिल द्वारा स्वीकार किया गया था

जी.

1 पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनेट (पी) लिमिटेड बनामवी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 508 का न्यासी मंडल।

2 भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (2011) 12 एस. सी. सी. 349।

एच.

नो क्लेम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार।यह उक्त तथ्यों के संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने पहले के मामले कानून की विस्तृत समीक्षा के बाद, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, इस न्यायालय के फैसले को शामिल किया।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब

प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267 इस प्रकार बना रहाः“23. वर्तमान, हमारी राय में, बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड में उल्लिखित अपवाद की श्रेणी में आने वाला मामला

प्रतीत होता है। [(2009) 1 एससीसी 267:(2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 177] (पी. 284, पैरा 25)।वित्तीय दबाव या जबरदस्ती के बारे में, इस तरह का कुछ भी प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है।केवल यह आरोप कि वित्तीय दबाव और जबरदस्ती के तहत नो-क्लेम प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं, बिना यह सुझाव देने के लिए और कुछ भी है, एक मध्यस्थ विवाद का कारण नहीं बनता है।ठेकेदार के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसके द्वारा स्वेच्छा से "नो-क्लेम सर्टिफिकेट" दिए गए थे; ठेकेदार ने स्वेच्छा से राशि स्वीकार की और अनुबंध को स्वेच्छा से जारी किया गया।"

बी.

सी.

13. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड 3 में इस न्यायालय ने

डी.

अन्य निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" विचार के लिए प्रश्न

15. इस मामले में बीमा अनुबंध में मध्यस्थता खंड का अस्तित्व विवाद में नहीं है।इसमें प्रावधान है कि "यदि इस नीति के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में कोई विवाद या अंतर उत्पन्न होता है (दायित्व को अन्यथा स्वीकार किया जा रहा है) तो इस तरह के अंतर को स्वतंत्र रूप से अन्य सभी प्रश्नों के लिए एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा।"प्रतिद्वंद्वी विवाद हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न को जन्म देते हैंः

ई.

किन परिस्थितियों में, एक न्यायालय मध्यस्थता की मात्रा से संबंधित विवाद को संदर्भित करने से इनकार कर देगी, जब अनुबंध विशेष रूप से मध्यस्थता की मात्रा से संबंधित विवादों और मतभेदों के संदर्भ के लिए प्रदान करता है?विशेष रूप से, क्या स्थिति है जब अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में एक प्रत्यर्थी , इस आधार पर मध्यस्थता के संदर्भ का विरोध करता है कि याची ने एक पूर्ण और अंतिम निपटान निर्वहन वाउचर जारी किया है और याची का तर्क है कि वह जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव और आर्थिक मजबूरी के कारण इसे जारी करने के लिए विवश था?

एफ.

जी.

17. किशोरीलाल गुप्ता [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1362 में निर्णयः(1960) 1 एस. सी. आर. 493] का पालन किया गया और कई निर्णयों में दोहराया गया।

एच.

जिसमें नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड बनाम.ख्यालीराम जगन्नाथ [आकाशवाणी ए।

815

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

1968 एस. सी. 522], दामोदर घाटी निगम।वि. के. के. कर [(1974) 1 एस. सी. सी. 141] और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वि.इंडो स्विस सिंथेटिक्स जेम एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड [(1996) 1 एस. सी. सी. 54] में

दामोदर घाटी निगम।[(1974) 1 एस. सी. सी. 141] इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 145, पैरा 7)

“7. ... एक अनुबंध पक्षों के बीच एक समझौते का निर्माण है और जहां अनुबंध की शर्तों के तहत पक्ष एक मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए सहमत होते हैं, वह खंड उस अनुबंध के तहत अधिकारों और दायित्वों से अलग है, क्योंकि इसे उस अनुबंध के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है।अनुबंध के तहत अधिकारों और दायित्वों के एकतरफा खंडन या अनुबंध के पूर्ण और अंतिम निपटारे के सवाल अनुबंध के प्रदर्शन या निर्वहन से संबंधित हैं।मध्यस्थता खंड को समाप्त करने की जगह, वे इसके दायरे में आते हैं।केवल एक पक्ष द्वारा अस्वीकार करने से अनुबंध समाप्त नहीं होता है।इसे समाप्त करने में दो समय लगता है, और इसलिए यह इस प्रकार है कि चूंकि अनुबंध पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए बना रहता है, इसलिए मध्यस्थता खंड भी बना रहता है।यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां याचिका यह है कि अनुबंध अमान्य, अवैध या धोखाधड़ी आदि है, जिस मामले में, मध्यस्थता खंड के साथ पूरा अनुबंध अमान्य या अमान्य है।चूँकि अनुबंध पक्षों के बीच समझौते का एक परिणाम है, इसलिए यह पार्टियों के लिए समान रूप से खुला है कि वे इसे समाप्त करने के लिए सहमत हों या इसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं था।पक्षकारों के लिए यह भी खुला हो सकता है कि वे पिछले अनुबंध को समाप्त करें और उसके स्थान पर एक नया अनुबंध करें या मूल अनुबंध को इस तरह से बदल दें कि वह कायम न रह सके।इन सभी मामलों में, चूंकि पूरे अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए मध्यस्थता खंड, जो इसका एक हिस्सा है, भी इसके साथ ही नष्ट हो जाता है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

18. अधिनियम की धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता पर शासन करने की क्षमता प्रदान करती है।धारा की उप-धारा (1) इस प्रकार हैः

जी.

“16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता

क्षेत्राधिकार।—(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय सहित अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है, और उस उद्देश्य के लिए, -

एच.

(क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा; और

(ख) मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा।”22. जहां धारा 11 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप मांगा जाता है, वहां मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति का कर्तव्य एस. बी. पी. एंड कंपनी में परिभाषित किया गया है। [(2005) 8 एस. सी. सी. 618] इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक मुद्दों की पहचान की और उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात्, (i) ऐसे मुद्दे जो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को तय करने के लिए बाध्य हैं; (ii) ऐसे मुद्दे जो वह भी तय कर सकते हैं, यानी ऐसे मुद्दे जो वह तय करने का विकल्प चुन सकते हैं; और (iii) ऐसे मुद्दे जिन्हें तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

बी.

सी.

22.1.जिन मुद्दों (पहली श्रेणी) पर मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वे हैं:

डी.

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है, इस तरह के समझौते का एक पक्ष है।

ई.

22.2.जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है (या उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ सकता है) वे हैंः

एफ.

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से प्रतिबंधित) दावा है या एक जीवित दावा है।

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है।

जी.

22.3.जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैंः(i) क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो विभागीय प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है और जिसे मध्यस्थता से अलग या बाहर रखा गया है)।

एच.

817

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

((ii) मध्यस्थता में शामिल गुण या कोई दावा।"

14. हम देख सकते हैं कि यह एक ऐसा निर्णय है जो शासन में दिया गया था जिसे इस के वृहद पीठ के निर्णय द्वारा लागू किया गया था।

एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम में न्यायालय ने रिपोर्ट की।पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य

(2005) 8 एससीसी 618।वास्तव में, यह अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पन्न होने वाला मामला भी है। न्यायालय ने विवादों की गैर-मध्यस्थता के प्रश्न पर विचार किया।यह मामलों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जैसा कि पैराग्राफ 22.1 से 22.3 तक देखा जा सकता है।हमें ध्यान देना चाहिए कि 2015 से मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 11 (6ए) को शामिल करने के बाद, कानून में बदलाव हुआ है, लेकिन हमें उक्त पहलू द्वारा हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मामले के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकता है।हम राष्ट्रीय बीमा (उपरोक्त) में निम्नलिखित विवरणों को भी देख सकते हैंः

बी.

सी.

49. सरकारी विभागों और निगमित क्षेत्र द्वारा नियमित/नियमित भुगतानों के संबंध में तिथि-पूर्व प्राप्तियां प्राप्त करना एक स्वीकृत प्रथा है जो प्रशासनिक आवश्यकताओं और लेखांकन आवश्यकताओं के कारण बनी हुई है।दिनांकित वाउचर/रसीद पर जोर देने का कारण यह है कि इस तरह के वाउचर/रसीद के निष्पादन की तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।भुगतान रसीद प्राप्त करने के लंबे समय बाद ही भविष्य की तारीख को किया जाता है।यदि रसीद में रसीद के निष्पादन की तारीख का उल्लेख किया गया है और उसके लंबे समय बाद भुगतान जारी किया जाता है, तो बहुत पहले की तारीख को प्राप्त राशि को स्वीकार करने वाली रसीद बेतुकी और अर्थहीन होगी।इसलिए, दिनांकित रसीदें ली जाती हैं ताकि इसका उपयोग उपयुक्त तिथि को शामिल करके बाद के भुगतानों के संबंध में किया जा सके।लेकिन कई बार मामलों को इतनी लापरवाही से निपटाया जाता है कि भुगतान किए जाने पर भी तारीख नहीं भरी जाती है।जो भी हो सकता है।लेकिन कुछ चिंता की बात यह है कि कुछ सरकारी विभागों, वैधानिक निगमों और सरकारी कंपनियों द्वारा दिनांकित "नो-बकाये के प्रमाण पत्र" या "पूर्ण और अंतिम निपटान वाउचर" जारी करने के लिए नियमित आग्रह किया जाता है, जो सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में दावे से कम राशि की प्राप्ति को स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार किए गए बकाया को जारी करने के लिए एक शर्त है।ऐसी प्रक्रिया जिसमें दावेदार को स्वीकार की गई कम राशि जारी करने की शर्त के रूप में पूर्ण और अंतिम निपटान में एक दिनांकित रसीद (अपने दावे से कम राशि की प्राप्ति को स्वीकार करना) जारी करने की आवश्यकता होती है, अनुचित, अनियमित और अवैध है और इसे पदच्युत करने की आवश्यकता होती है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

50. आइए हम विचार करें कि एक दीवानी न्यायालय ने ऐसे मामले में क्या किया होगा जहां प्रतिवादी वादी द्वारा जारी किए गए पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर के आधार पर सहमति और

संतुष्टि का बचाव करता है, और वादी आरोप लगाता है कि यह धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था और इसलिए मान्य नहीं है।यह सबूतों पर विचार करेगा कि क्या कोई धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव था।यदि यह पाया जाता है कि कोई नहीं था, तो यह वाउचर को अनुबंध के निर्वहन के रूप में स्वीकार करेगा और गुण-दोष के आधार पर दावे की जांच किए बिना दावे को अस्वीकार कर देगा।दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि डिस्चार्ज वाउचर धोखाधड़ी/अनुचित प्रभाव/जबरदस्ती से प्राप्त किया गया था, तो यह इसकी अनदेखी करेगा, जांच करेगा कि क्या वादी ने गुण-दोष के आधार पर दावा किया था और तदनुसार मामले का फैसला करेगा।मध्यस्थता का प्रावधान होने पर भी स्थिति समान होगी।"

बी.

सी.

15. जिन मुद्दों को उठाया गया है, उन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हमें विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के तर्क पर ध्यान देना चाहिए।हम इस संबंध में निम्नलिखित तर्क निर्धारित करना उचित समझते हैं।उन खंडों का उल्लेख करने के बाद जिन्हें हम पहले ही निकाल चुके हैं।, खंड 65 और 65 ए में हम निम्नलिखित पाते हैं:"अनुबंध के नियमों और शर्तों के लिए प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए कार्यों के भौतिक रूप से पूरा होने के तीन महीने के भीतर अंतिम बिल जमा करना आवश्यक है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अंतिम विधेयक निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था।खंड 65 और 65-ए, हालांकि ठेकेदार पर अपना बिल जमा करने के लिए एक सीमा निर्धारित करता है, लेकिन उस समय की बात नहीं करता है जिसके भीतर नियोक्ता द्वारा अंतिम बिल का भुगतान किया जाना है।मान लीजिए, जब विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, तो ठेकेदार ने मध्यस्थ के समक्ष आगे के दावे किए, जिन्हें नियोक्ता को सुनने के बाद मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय दिया गया था और दावों को मोटे तौर पर अनुमति दी गई थी।यदि अंतिम बिल 13.2.2002 पर प्रस्तुत किया गया था, और ठेकेदार के आर्थिक नुकसान के लिए इसका भुगतान 25.11.2003 पर देर से किया गया था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रभारी अभियंता/नियोक्ता के मुंह में एक बहिष्करण खंड का आह्वान करने के लिए नहीं है जैसा कि खंड 65-ए में अंतर्निहित है। यदि ऐसा कोई खंड लागू होता है, तो यह मध्यस्थ के विवेकाधिकार और अधिकार क्षेत्र को भी छीन लेगा कि वह ब्याज और भविष्य का ब्याज आदि प्रदान करे, जिसकी कानून अनुमति देता है और ऐसा दावा भी एक वैध दावा होगा जिसे दिया जा सकता है।किसी भी मामले में, इस तरह के खंड का मैं विरोध करने के लिए इच्छुक हूं

डी.

ई.

एफ.

जी.

सार्वजनिक नीति के लिए और अनुचित तरीके से काम करने के लिए, और केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम और ए. एन. आर. बनाम ए. एन. आर. में उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, उसके आलोक में समझा जाना चाहिए।ब्रोजो नाथ गांगुली, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1571, इस प्रकार अनुबंधों के कानून के क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और इसे एक अनुबंध में एक खंड की तर्कसंगतता या निष्पक्षता की परीक्षा के अधीन कर रहा है जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता है।निर्णय के उद्धरण लाभप्रद रूप से उद्धृत किए जा सकते हैंः-

बी.

“संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।यह सिद्धांत यह है कि न्यायालय लागू नहीं करेंगे और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर, एक अनुचित और अनुचित अनुबंध, या उन पक्षों के बीच किए गए अनुबंध में एक अनुचित और अनुचित खंड को रद्द कर देंगे जो सौदेबाजी की शक्ति में समान नहीं हैं। उपरोक्त सिद्धांत वहां लागू होगा जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता अनुबंध करने वाले पक्षों की आर्थिक ताकत में बड़ी असमानता का परिणाम है।यह लागू होगा जहां असमानता परिस्थितियों का परिणाम है, चाहे वह दलों के निर्माण का हो या नहीं।यह उन स्थितियों पर लागू होगा जिनमें कमजोर पक्ष ऐसी स्थिति में है जिसमें वह केवल मजबूत पक्ष द्वारा लगाई गई शर्तों पर माल या सेवाएं या आजीविका के साधन प्राप्त कर सकता है या उनके बिना रह सकता है।यह वहाँ भी लागू होगा जहाँ किसी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है, या बल्कि कोई सार्थक विकल्प नहीं है, लेकिन किसी अनुबंध को अपनी सहमति देना या निर्धारित या मानक रूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करना या अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक सेट को स्वीकार करना, हालाँकि, उस अनुबंध या रूप या नियमों में एक खंड अनुचित या अनुचित हो सकता है।यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब अनुबंध करने वाले पक्षों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर या लगभग बराबर हो।गलत सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है जहां दोनों पक्ष व्यवसायी हैं और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है।अपने विशाल अवसंरचनात्मक संगठनों के साथ विशाल निगमों की आज की जटिल दुनिया में और राज्य अपनी उपकरणों और एजेंसियों के माध्यम से उद्योग और वाणिज्य की लगभग हर शाखा में प्रवेश कर रहा है, ऐसी असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप पूरी तरह से असमान और असमान सौदेबाजी करने वाले पक्षों के बीच अनुचित और अनुचित सौदेबाजी हो सकती है।न्यायालय को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 (1) के तहत किसी पक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

820

फिर आगे; "हालांकि, अधिकांश मामलों में, असहनीय अवधि के साथ ऐसे अनुबंध कमजोर पक्ष द्वारा परिस्थितियों के दबाव में किए जाते हैं, आम तौर पर आर्थिक, जिसके परिणामस्वरूप सौदेबाजी की शक्ति की असमानता होती है, ऐसे अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 (1) द्वारा परिभाषित" अनुचित प्रभाव "की परिभाषा के चार कोनों के भीतर नहीं आते हैं। इस तरह के अधिकांश अनुबंध एक मानक या निर्धारित रूप में होते हैं या इसमें नियमों का एक समूह होता है।वे केवल उन व्यक्तियों के लिए शर्तों वाले व्यक्तियों के बीच अनुबंध नहीं हैं। निर्धारित या मानक रूपों में अनुबंध या जो अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक समूह को शामिल करते हैं, पार्टी द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के साथ बेहतर सौदेबाजी की शक्ति के साथ किए जाते हैं जिनके पास बहुत कम सौदेबाजी की शक्ति होती है या कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है।ऐसे अनुबंध जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या समूहों को प्रभावित करते हैं, यदि वे अनुचित, अनुचित और अनुचित हैं, तो वे जनहित के लिए हानिकारक हैं।यह कहना कि इस तरह का अनुबंध केवल अमान्य है, प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर करना होगा जिसके साथ बेहतर सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्ष ने अनुबंध को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालय जाने के लिए अनुबंध किया था।इसके परिणामस्वरूप केवल मुकदमेबाजी की बहुलता होगी जिसे किसी भी न्यायालय को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और यह जनहित में भी नहीं होगा।इसलिए, किसी अनुबंध में इस तरह के अनुबंध या ऐसे खंड को सार्वजनिक नीति के विपरीत, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

और अभी भी आगे; "भारतीय अनुबंध अधिनियम" सार्वजनिक नीति "या" सार्वजनिक नीति के विरोध "अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है।चीजों की प्रकृति से, इस तरह की अभिव्यक्तियाँ सटीक परिभाषा देने में असमर्थ हैं।हालाँकि, सार्वजनिक नीति किसी विशेष सरकार की नीति नहीं है।यह कुछ ऐसे मामलों को इंगित करता है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित हैं।सार्वजनिक भलाई के लिए या सार्वजनिक हित के लिए या सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक या हानिकारक क्या होगा, इसकी अवधारणा समय-समय पर अलग-अलग रही है।जैसे-जैसे नई अवधारणाएं पुरानी अवधारणाओं का स्थान लेती हैं, वैसे-वैसे जिन लेनदेनों को कभी सार्वजनिक नीति के खिलाफ माना जाता था, उन्हें अब अदालतों द्वारा बरकरार रखा जा रहा है और इसी तरह जहां सार्वजनिक नीति का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रमुख रहा है, अदालतें ए

एफ.

जी.

एच.

821

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

इसे नए लेन-देन और बदली हुई परिस्थितियों तक विस्तारित करने से पीछे नहीं हटे हैं और कई बार सार्वजनिक नीति के नए प्रमुख का आविष्कार करने से भी पीछे नहीं हटे हैं।सार्वजनिक नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत उचित अवसर पर विस्तार या संशोधन में सक्षम होने चाहिए और होने चाहिए।जिन प्रथाओं को एक समय में पूरी तरह से सामान्य माना जाता था, वे आज सार्वजनिक विवेक के लिए अप्रिय और दमनकारी हो गए हैं।यदि सार्वजनिक नीति का कोई प्रमुख नहीं है जो किसी मामले को शामिल करता है, तो न्यायालय को सार्वजनिक विवेक के अनुरूप और सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रथा को सार्वजनिक नीति के खिलाफ घोषित करना चाहिए।सबसे बढ़कर, किसी भी मामले का निर्णय लेने में जो प्राधिकरण द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है, भारतीय न्यायालयों के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रकाश होता है।मिसाल के अभाव में, न्यायालय को हमेशा उस प्रकाश और हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।”

बी.

सी.

ऐसा नहीं है कि अंतिम बिल का भुगतान तुरंत किया गया था और भुगतान में देरी ही ठेकेदार द्वारा नए दावे करने के अपने दावों की बारीकी से जांच करने पर बिल जमा करने के लिए एक

अलग आधार होना चाहिए, जो अंतिम बिल पेश करने के समय ठेकेदार के नोटिस से बच गए हों।मानवीय मामलों में, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और होनी भी चाहिए और अदालतें ऐसे दावों के गुण-दोष के आधार पर उन्हें न्यायनिर्णयन के लिए समायोजित करने के लिए अनुमति दे सकती हैं और देनी चाहिए।इसलिए, मैं स्वयं को याची पर मुकदमा न करने और अभिलेख पर मूल दावा याचिका में दबाए गए दावों से परे 'आगे के दावों' की जांच के लिए अपने मामले को बंद करने में विद्वान जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूं और वह भी केवल खंड 65-ए में दमनकारी बहिष्करण के कारण। बकाया के भुगतान में देरी स्वयं ही अंतिम बिलों के भुगतान में चूक के कारण उपार्जित ब्याज के लिए एक कार्रवाई योग्य दावे को जन्म देगी, जिससे नियोक्ता की जेब में उचित समय से अधिक पैसा रखा जाएगा।”

डी.

ई.

एफ.

जी.

16. इसके बाद, उच्च न्यायालय बाद के समझौते का भी उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ता है, वह आदेश जिसके द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी, वह समझौता जो किया गया था और अंत में, यह निम्नानुसार पाया जाता है:“अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहर लाल बताते हैं कि वर्तमान मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया गया था

एच.

अधिनियम की धारा 11 के तहत इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दिनांक 1 के आदेश द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की मांग करने वाले पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद और मतभेद को पहचानने और पहचानने के बाद।इस अधिकारिता के मुद्दे को स्वयं नियोक्ता द्वारा मध्यस्थ के समक्ष रखा गया था और तदनुसार एक प्रारंभिक मुद्दे को तैयार किया गया था और अपीलार्थी के पक्ष में जवाब दिया गया था और खंड 65-ए को विधिवत रूप से देखा और इस तरह से व्याख्या की गई थी जो इस न्यायालय को कानून के सही स्पष्टीकरण के रूप में अपील करता है।इसके अलावा, मध्यस्थ ने अपने दिनांकित

4.3.2009 (अनुलग्नक ए-3) के पुरस्कार में दिनांकित 22.11.2007 समझौते से पाया कि पक्षों के बीच विवाद अभी भी मौजूद है, जो समझौते के पाठों से स्पष्ट है, जो इस प्रकार हैः

बी.

सी.

"नया मध्यस्थ पक्षों के बीच सभी विवादों का फैसला करेगा।

डी.

विद्वत जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पुरस्कार के साथ इस कारण से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी कि खंड 65 और 65-ए के उल्लंघनकारी भाग के संचालन द्वारा अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर विद्वान गया था, जिसे किसी ठेकेदार के अधिकार की छूट या समाप्ति के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, कम से कम खंड 65-ए के रूप में काल्पनिक मानते हुए, अंतिम बिल की प्रस्तुति के बाद आगे के दावे करने के लिए यदि धन या ब्याज स्पष्ट रूप से प्रस्ताव या ठेकेदार को अनुबंध के कारण बकाया है।इस प्रकार, ये दोनों खंड अनुबंध के कानून पर लागू होने वाले कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम के सुस्थापित सिद्धांत के आलोक में प्रस्ताव या कार्य अनुबंध के खिलाफ पढ़ने के योग्य हैं।पूर्वगामी कारण से, इस अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांकित 10.7.2013 के विवादित फैसले को अपास्त करना दिया जाता है।"

ई.

एफ.

17. अपीलार्थियों द्वारा जिन खंडों पर भरोसा किया गया है, वे स्पष्ट और स्पष्ट हैं।वे अंतिम विधेयक प्रस्तुत करने के बाद एक नए दावे को प्रस्तुत करने में हस्तक्षेप करते हैं।यदि अंतिम विधेयक प्रस्तुत करने के बाद कोई दावा बचा है, तो पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा।ये ऐसे खंड हैं जो न केवल पक्षों के लिए बल्कि मध्यस्थ के लिए भी बाध्यकारी हैं।खंड 65 और 65 ए की शर्तों के खिलाफ जाने से पुरस्कार वास्तव में ए के लिए असुरक्षित हो जाएगा।

जी.

एच.

इस आधार पर कि यह अनुबंध के विपरीत और इसलिए, अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध है।

18. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक अंतिम विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और यह तर्क दिया जाता है कि अंतिम विधेयक दबाव में प्रस्तुत किया गया था।ऐसे मामले में, दावेदारों और मध्यस्थ से यह पता लगाने का आग्रह किया जा सकता है कि अंतिम बिल स्वयं इस तथ्य के कारण दूषित किया गया था कि यह कानून के तहत दबाव या किसी अन्य दूषित करने वाले कारकों से लाया गया था।यदि ऐसी घटना हुई होती तो यह अपीलार्थियों पर मुकदमा दायर न करने के लिए पर्याप्त हो सकता था।दूसरे शब्दों में, यदि समझौते की शर्तों के तहत, मध्यस्थ के खिलाफ किसी भी दावे में योग्यता खोजने का प्रयास करने पर प्रतिबंध है जो अंतिम बिल का हिस्सा नहीं है, तो इस तरह से दावे को स्वीकार करना अवैध होगा।हालाँकि, दूसरी ओर, यदि मामला यह है कि अंतिम बिल को ही जीवन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जबरदस्ती या किसी अन्य दूषित कारक से पैदा हुआ था और मध्यस्थ सामग्री पर एक निष्कर्ष देता है जो कानून में पर्याप्त है तो मध्यस्थ के पुरस्कार पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि वह संविदात्मक प्रावधानों से परे जाता है।इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम उन तथ्यों के संदर्भ में मामले की जांच करेंगे जो इस मामले में विवाद में नहीं हैं।

बी.

सी.

डी.

19. 13.02.2002 पर, प्रत्यर्थी ने वास्तव में एक अंतिम बिल प्रस्तुत किया है।इसके एक साल बाद 25.02.2003 पर प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ एक पत्र भेजा जिसमें आग्रह किया गया कि 13.02.2002 दिनांकित अंतिम बिल का भुगतान नहीं किया गया था और विरोध के तहत हस्ताक्षर किए गए थे।इसके बाद, यह प्रतीत होगा कि प्रत्यर्थी ने 24.05.2003 पर एक हलफनामा दायर किया है।यह इन सब की अनदेखी कर रहा है कि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए नोटिस भेजा गया था।अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थता के दौरान, 03.08.2008 पर, अपीलार्थियों ने अनुबंध के खंड 65 और 65 ए को लागू करते हुए अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन 04.03.2009 पर अस्वीकार कर दिया गया।

ई.

एफ.

20. हमने उक्त आदेश की सामग्री को स्कैन किया है।मध्यस्थ उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के आधार पर धारा 16 के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा है।मध्यस्थ आगे इस तथ्य से प्रेरणा लेता है कि 12.11.2007 दिनांकित आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को 04.12.2007 पर खारिज कर दिया गया था।मध्यस्थ ने आगे पाया कि दिनांकित 12.11.2007 के आदेश के

बाद पक्षों के बीच किया गया समझौता इंगित करेगा कि विवाद वास्तव में मौजूद हैं।हालाँकि, इसकी अनुपस्थिति से जो बात स्पष्ट है, वह मध्यस्थ द्वारा कोई भी निष्कर्ष है, कि 13.02.2002 दिनांकित अंतिम बिल दबाव या किसी अन्य दूषित करने वाले कारकों का परिणाम था।

जी.

एच.

21. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता यह इंगित करेंगे कि धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित 04.03.2009 दिनांकित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी क्योंकि यह अधिनियम की धारा 37 के तहत आक्षेपित नहीं था। अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार हैः

"37.अपील योग्य आदेश।—(1) आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से अपील की जाएगी, अर्थात्ः—

बी.

(क) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना; (ख) धारा 9 के तहत कोई उपाय देने या देने से इनकार करना; (ग) धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करनाना या अपास्त करनाने से इनकार करना।

सी.

(2) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील भी की जाएगी -

डी.

(क) धारा 16 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करना; या

(ख) धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय देना या देने से इनकार करना।

(3) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा की कोई भी बात सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या निरस्त नहीं करेगी।"

ई.

22. धारा 16 की उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील की जाती है।इसका मतलब है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है जो इस याचिका को अनुमति देता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसी तरह का मामला एक आदेश के संदर्भ में है जिसे अधिनियम की धारा 16 (3) के तहत अपील योग्य बनाया गया है। इसके तहत यह भी याचिका है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है जिसकी अनुमति दी गई है जिसे अपील योग्य बनाया गया है।इस मामले में, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने याचिका को अनुमति नहीं दी है, चाहे वह धारा 16 (2) के तहत हो या धारा 16 (3) के तहत।दूसरी ओर, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया है।इसलिए, दिनांकित 04.03.2009 आदेश के खिलाफ धारा 37 के तहत कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी।मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा धारा 16 (2) या 16 (3) के तहत याचिका को खारिज करने का आदेश स्वयं पुरस्कार का हिस्सा होने के कारण, अधिनियम ए की धारा 34 के तहत याचिका दायर किए जाने पर पक्षकारों के लिए इसे चुनौती देने का विकल्प खुला है।

एफ.

जी.

एच.

825

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

पुरस्कार को चुनौती देना।यह अधिनियम की योजना है। यह स्पष्ट रूप से उन मामलों में अपील करने के अधिकार को सीमित करने के लिए है जहां किसी पक्ष की याचिका को स्वीकार करने से मध्यस्थता रुक जाएगी।वास्तव में, हम देखते हैं कि 04.03.2009 दिनांकित आदेश को पुरस्कार में संदर्भित किया गया है और इसे पुरस्कार के हिस्से के रूप में माना गया है।

23. इसके बाद एक कार्यवाही में जिला न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा धारा 34 के तहत दायर याचिका को मंजूरी दे दी है।हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने, विवादित आदेश में, विचाराधीन खंडों के तहत याचिका पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

बी.

“अनुबंध के नियमों और शर्तों के लिए प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए कार्यों के भौतिक रूप से पूरा होने के तीन महीने के भीतर अंतिम बिल जमा करना आवश्यक है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अंतिम विधेयक निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था।खंड 65 और

65 ए, हालांकि ठेकेदार पर अपना बिल जमा करने के लिए एक सीमा निर्धारित करता है, लेकिन उस समय की बात नहीं करता है जिसके भीतर नियोक्ता द्वारा अंतिम बिल का भुगतान किया जाना है।मान लीजिए, जब विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, तो ठेकेदार ने मध्यस्थ के समक्ष आगे के दावे किए, जिन्हें नियोक्ता को सुनने के बाद मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय दिया गया था और दावों को मंजूरी दी गई थी।यदि अंतिम बिल 13.02.2002 पर प्रस्तुत किया गया था, और ठेकेदार के आर्थिक नुकसान के लिए उसी का भुगतान 25.11.2003 पर देर से किया गया था, तो यह प्रभारी अभियंता/नियोक्ता के मुंह में एक बहिष्करण खंड का आह्वान करने के लिए झूठ नहीं प्रतीत होगा जैसा कि खंड 65-ए में अंतर्निहित है। यदि ऐसा कोई खंड लागू होता है, तो यह मध्यस्थ के विवेकाधिकार और अधिकार क्षेत्र को भी छीन लेगा कि वह ब्याज और भविष्य का ब्याज आदि प्रदान करे, जिसकी कानून अनुमति देता है और ऐसा दावा भी एक वैध दावा होगा जिसे दिया जा सकता है।किसी भी मामले में, मुझे लगता है कि ऐसा खंड सार्वजनिक नीति का विरोध करेगा और अनुचित तरीके से काम करेगा, और इसे केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम और ए. एन. आर. बनाम ए. एन. आर. में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित तथ्यों के आलोक में समझा जाना चाहिए।ब्रोजो नाथ गांगुली और ए 1 आर 1986 एस. सी. 1571, इस प्रकार अनुबंधों के कानून के क्षेत्र का विस्तार करते हुए और इसे एक अनुबंध में एक खंड की तर्कसंगतता या निष्पक्षता के परीक्षण के अधीन करते हुए जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता है।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

24. इसके बाद उच्च न्यायालय ने फैसले को संदर्भित किया है।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम और ए. एन. आर. में इस न्यायालय का।

v. ब्रोजो नाथ गांगुली ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1571 जैसा कि हमने देखा।

एच.

25. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हितकारी सिद्धांत जो रहा है

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

निगम 4 के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होने पर उचित विचार किया जाना चाहिए।हालाँकि, इसे संदर्भ से बाहर नहीं किया जा सकता है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जब कोई ठेकेदार किसी अंतिम बिल या 'नो क्लेम ड्यू सर्टिफिकेट' से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे उसने मध्यस्थ के समक्ष सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया है, तो उसे एक ऐसा मामला स्थापित करना चाहिए कि अंतिम बिल या बिना किसी दावे का प्रमाण पत्र कानून के तहत किसी भी दूषित करने वाले कारक का परिणाम था।इस तरह के निष्कर्ष के बिना, अंतिम बिल खड़ा रहेगा।यदि अंतिम विधेयक को कानून द्वारा ज्ञात किसी भी कारक द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है तो इस मामले में अपीलार्थियों द्वारा जिन खंडों पर भरोसा किया गया है वे काम करेंगे।मध्यस्थ द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि अंतिम बिल और नो क्लेम सर्टिफिकेट दूषित थे।अनुबंध के खंड प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी थे।इसे आह्वान करने से अलग नहीं किया जा सकता है

बी.

सी.

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में सिद्धांत 5.यह नहीं है।

ठेकेदार का मामला कि जब अनुबंध किया गया था, तो यह उन परिस्थितियों में था जो उसमें निर्धारित सिद्धांतों को आकर्षित करती थीं।26. यदि खंड काम करते हैं, तो अपरिहार्य परिणाम यह है कि मध्यस्थ संविदात्मक निषेध से बाहर नहीं जा सकता था और अंतिम बिल जमा करने के बाद प्रस्तुत किए गए दावों की अनुमति देते हुए एक पुरस्कार पारित कर सकता था।

डी.

27. हालाँकि, हम इस तथ्य से पूरी तरह अनजान नहीं हो सकते हैं कि 13.02.2002 पर अंतिम बिल जमा करने के बाद, उक्त बिल का निपटारा एक साल से अधिक की लंबी देरी के बाद ही किया गया था।हालांकि यह सच हो सकता है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि अंतिम बिल किसी दबाव या जबरदस्ती का परिणाम था, प्रत्यर्थी के पास एक मामला था कि अंतिम बिल उसके दावों का भुगतान न करने के कारण दबाव का परिणाम था और इसलिए, प्रत्यर्थी निर्विवाद राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया।लेकिन साथ ही, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है।

ई.

एफ.

28. यद्यपि हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि विचाराधीन राशि काफी कम है और अंतिम बिल

लंबे समय तक भुगतान नहीं किया गया है।यह स्पष्ट रूप से अंतिम बिल राशि के भुगतान में लंबी देरी थी जिसके कारण नए दावे बढ़े।शायद, अगर अंतिम विधेयक को इतने लंबे समय तक लंबित नहीं रखा गया होता, तो पूरा विवाद शायद ही पैदा हुआ होता।हम एक अन्य पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।इस न्यायालय ने ताहेरा खातून (डी) में एल. आर. बनाम.सलामबीन मोहम्मद (1999) 2 एस. सी. सी. 635 ने मार्गदर्शक ए.

जी.

एच.

827

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स भारत एंटरप्राइज [के. एम. जोसेफ, जे.]

अनुच्छेद 136 के तहत छुट्टी देने के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उत्पन्न अपील में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सिद्धांत।हम इस संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दे सकते हैं:

19. हम इस संबंध में नगर निगम बोर्ड का भी उल्लेख कर सकते हैं,

प्रतापगढ़ बनाम महेंद्र सिंह चावला [(1982) 3 एस. सी. सी. 331:

1983 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 19] जिसमें यह देखा गया कि ऐसे मामलों में,

बी.

सही कानूनी स्थिति घोषित करने के बाद, यह न्यायालय अभी भी कर सकता है

यह कहना कि यह गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं करेगा और यह कि यह मामले की तथ्य स्थिति में न्यायसंगत विचारों के आधार पर निर्णय लेगा और "मामले को ढालेगा।

अंतिम आदेश "।

सी.

20. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, भले ही हम अब विशेष अनुमति देने के बाद अपील पर विचार कर रहे हैं, हम गुण-दोष में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं और भले ही हम ऐसा करते हैं और कानून घोषित करते हैं या त्रुटि इंगित करते हैं-फिर भी हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यदि तथ्यों पर मामले के न्याय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है या यदि हमें लगता है कि राहत को एक अलग तरीके से ढाला जा सकता है।"

डी.

29. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जबकि हम विवादित आदेश को अपास्त करनाने के लिए इच्छुक हैं, हम यह भी महसूस करते हैं कि न्याय के हितों के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्यर्थी को उसके सभी दावों की पूरी और अंतिम संतुष्टि के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए।तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है।विवादित फैसले को अपास्त करना दिया जाता है।तथापि, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थियों प्रत्यर्थी को 3 लाख रुपये (केवल तीन लाख रुपये) की वैश्विक राशि का भुगतान करेंगे जो प्रत्यर्थी के दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा।3 लाख रुपये की राशि का उक्त भुगतान आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

ई.

एफ.

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.